## Order Sheet [Contd] Case No 100028/16mjc Cr.P.C.

Date of Order or Proceeding  Order or proceeding with Signature of presiding  Parties or Pleaders when	
necessary	Order or
15—12—16  अावेदक / आरोपी की ओर से श्री दीपक गोयल अधिवक्ता । प्रतिनिगरानीकर्ता अर्निवाहित ।  अावेदक / आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन में निवेदन किया गया है कि आवेदकगण के द्वारा मृतक नीतेश सोनी की दुध एटना में मृत्यु के फलस्वरूप क्लेम दावा पेश किया था जिसमें न्यायालय के द्वारा दिनांक 12—3—2016 को अवार्ड पारित कर 3,74000 / —रूपये का अवार्ड पारित किया था जो बीमा कंपनी के द्वारा जमा करा दिया गया है । आवेदिका कं01 का वेहांत दिनांक 10—5—16 को हो गया है ऐसी दशा में आवेदक कं0 2 व 3 को उक्त जमा सुदा राशि दिलवाये जाने का आदेश दिये जाने का निवेदन किया है ।  गाजिर रिपोर्ट के अनुसार प्र०कं0 33 / 14 क्लेम में चेक कं0 756813 दिनांक 8—7—16 के द्वारा 420675 रूपये जमा होकर शेष हैं ।  प्रकरण का अवलोकन किया गया संबंधित अवार्ड के आदेश की सत्य प्रतिलिपि का भी अवलोकन किया गया । क्लेम प्र०कं0 33 / 14 में आदेश दिनांक 12—3—16 के अनुसार आवेदिका कं01 श्रीमती सुनीता सोनी को उक्त क्षतिपूर्ति की राशि दिलवाये जाने का आदेश प्रदान किया गया था । अन्य आवेदकगण कं0 2 रामकुमार सोनी और आवेदक कं03 निधि सोनी को कोई भी प्रतिकर दिलाये जाने का आदेश नहीं है ।  चूंकि आवेदिका कं01 श्रीमती सुनीता सोनी की दिनांक 10—5—16 को मृत्यु हो जाना बताया गया है तथा इस संबंध में उसका मृत्यु प्रमाणपत्र भी पेश किया गया है । प्रकरण में आवेदिका कं01 की मृत्यु हो जाने से आवेदन कं0 2 व 3 को उक्त क्षतिपूर्ति की राशि अदा करने का अवार्ड पारित नहीं किया गया है ।	15-12-16

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जबिक आवेदिका कं01 सुनीता सोनी जिसके पक्ष में कि प्रतिकर की राशि दिलाये जाने का आदेश दिया गया है उसकी मृत्यु हो चुकी है । उसे प्राप्त होने वाली प्रतिकर की राशि के संबंध में विधिवत् उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पेश होने पर ही उसके बारिसों को प्रतिकर की राशि अदा करने का आदेश दिया जा सकता है ।

अतः आवेदक कं0 2 व 3 मृतक सुनीता सोनी की मृत्यु के पाश्चात उसको प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो जाते हैं । इस संबंध में मृतिका को प्राप्त होने वाली राशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पेश किये जाने पर राशि भुगतान किये जाने के संबंध में विचार किया जा सकता है । आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत वर्तमान आवेदनपत्र वास्ते जमा सुदा राशि का भुगतान किये जाने वाबत् उक्त परिप्रेक्ष्य में इस स्टेज पर निरस्त किया जाता है ।

परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो ।

(डी०सी०थपलियाल) अति०मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड